#### Case name

Shreya Singhal v. Union of India (2015) 10 SCC 459 (2015)

### Case

सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 की धारा 66ए की संवैधानिकता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

## **Brief Summary**

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियिम, 2000 की धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह धारा अस्पष्ट, मनमाना और अनुचित पाई गई और इसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित करने वाला माना गया। अदालत ने केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 (डी) को भी असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया।

## **Main Arguments**

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह था कि आई. टी. अधिनियिम की धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करती है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि धारा 66ए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है। अदालत याचिकाकर्ताओं से सहमत थी कि धारा 66ए असंवैधानिक है, इसकी अस्पष्टता और मनमानेपन का हवाला देते हुए।

## **Legal Precedents or Statutes Cited**

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 14,19 (1) (ए) और 19 (2).-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियिम, 2000 की धारा 66 ए, 69 ए और 79.-केरल पुलिस अधिनियिम, 2011 की धारा 118 (डी)। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम 2011।

# Quotations from the court

- धारा 66ए स्पष्ट रूप से मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। "-" धारा 66ए अस्पष्ट है और अनिश्चितिता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। धारा 66ए असंवैधानिक है क्योंकि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित करती है।

### **Present Court's Verdict**

अदालत ने कहा कि आईटी अधिनयिम की धारा 66ए असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत ने केरल पुलिस अधिनयिम, 2011 की धारा 118 (डी) को भी असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनयिम की धारा 69ए और सूचना प्रौद्योगिकी (हस्तक्षेप, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शिन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

### **Conclusion**

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत में बोलने और अभिव्यक्त की ऑनलाइन स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आई. टी. अधिनयिम की धारा 66ए को निरस्त करने के अदालत के फैसले को ऑनलाइन अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के समर्थकों की जीत के रूप में देखा गया है, जबकि अदालत द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा 69ए और 2009 के नियमों को बरकरार रखने को एक समझौते के रूप में देखा गया है। फैसला यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है कि ऑनलाइन भाषण को विनियमित करने वाले कानून स्पष्ट और उचित हैं।